फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

सायलान :— सायर पुत्र अणदा **बनाम** गैर सायलान :— अल्पू पुत्र अणदा वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र मु.नं. ४५७ /सन 2018

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...10.2018	वकील सायल उपस्थित। वकील सायल ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध गै0सा0 अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल व गै.सा. सं. की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण मे ख.नं. 59/1 रकबा 3–06 बीघा, ख.नं. 72/1 रकबा 7–07 बीघा भूमि आयी हुई हैं। सायल के खातेदारी के खेत के चारों और खन्दक / पाल लगी हुई हैं। खेत के अन्दर खेजड़ी व बंबूल के वृक्ष खड़े हैं। सायल खेत में खड़े खेजड़ी व बंबूल के वृक्षो पर लगी लूंग पापड़ी की टेहनियों को गै.सा. व वारिसान हाली आदि कटाई छंगाई नही करें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायल बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईशतदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील सायल पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक प्रार्थी के मेड़बन्दी में दखलदांजी नही करने एवं टहनिया नही काटनें हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गै0 सा0 इस आशय की जारी की जाती हैं कि सायल की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का टूंकड़ा तहसील जैतारण मे ख.नं. 59/1 रकबा 3–06 बीघा, ख.नं. 72/1 रकबा 7–07 बीघा भूमि आयी हुई हैं। उक्त आराजी में जवाब पेश होने तक प्रार्थी के मेड़बन्दी में दखलदांजी नही करने एवं टहनिया नही काटनें हेतु गै. सा. को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील सायल तलबाना / नोटिसेज रजि. ए.डी. के तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर गै0 सा0 को रजि. ए.डी. के जरिये नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.12.2019 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। SDO	१०२४ २६.१०.१८
20/12/18	पत्रावली पेश हुई ... S.D.O. ... दौरे पर, दिगर कार्य मे ... वकीलों द्वारा कोई ... से पत्रावलीं आयन्दा दिनांक २५-१- 20.१९... को पेश हो।	
२५/१/१९	वकील श्री सायल द्वारा मूल वाद के वाद जरिये विड्रोल खारिज करने का प्रा०पत्र पेश करने से पत्रावली आज पेश हुई। सायल का मूल वाद जरिये विड्रोल खारिज हो चुका है। मूल वाद खारिज हो जाने से अब इस प्रा०पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अर्थात प्रभावहीन होने से सायल का उक्त प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत मुताबिक [illegible] से कम हो। बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] हो। SDO.	सायर [signature]